अनुवाद:—रघुवीर सिंह बनाम गोपाल सिंह
मुकदमा संख्या:—01 / 383 / 2015

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री शीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :—01 / 383 / 2015 ऑनलाईन नम्बर:—2015 / 00367 प्रवेश तिथि:—29.04.2015

1. रघुवीर सिंह पुत्र श्री रूड सिंह मु0 ब0 श्री बनेसिंह आयु 72 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर।

............वादी

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री कालू सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर मृतक जरीये वारीसान—
   1 / 1. उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह।
   1 / 2. सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह।
   1 / 3. मदन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह।
   1 / 4. मोहन बाई बेवा स्व0 श्री गोपाल सिंह जातियन राजपूत निवासीयान ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर।
2. तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार तहसील राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर।

............प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा —88.
उपस्थित:— श्री सीताराम वशिष्ट एडवोकेट—वादी
श्री मोहन लाल जैमन एड0 प्रतिवादी

—:निर्णय:—

दिनांक 12 / 01 / 2026

1. आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क का पेश कर निवेदन किया कि वादी की आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324 / 0.23, 533 / 0.31, 534 / 0.18, 561 / 0.21, 562 / 0.28, 563 / 0.06, 564 / 0.63, 565 / 0.78, 566 / 0.57, 577 / 0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादी के पुरखे जमीदार थे। जब ठाकुर रेवड सिंह के कोई सन्तान नही हुई तो उन्होने श्री बनेसिंह को गोद ले लिया, ठाकुर रेवड सिंह को धोखे में रखकर उनके स्थान पर नम्बरदारी प्राप्त कर ली। उनके स्थान पर नम्बरदारी प्राप्त होने पर भी किसी भी जमीन पर कालू सिंह ने काबिज रहकर काश्त नही की। बेवा रेवड सिंह जी ही सारी जमीन के देखभाल व काश्त करते चले आ रहे थे। तथा बने सिंह के लडके रघुवीर सिंह व दलबीर सिंह को अपने हिस्से की कुल जमीन की वसीयत कर दी। यह है कि कालू सिंह की चालाकी व मक्कारी बेईमानी का जब बनेसिंह व बेवा रेवड सिंह झुवार बाई को जब यह जानकारी हुई की कालू सिंह कामदार ने नम्बरदारी अपने नाम दर्ज करा ली है तो बनेसिंह व झंवार बाई व गॉव वालो ने भी इस बात का एतराज किया इस पर कालू

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

सिंह ने इंतकाली नम्बर 271 के जरीये सारी जमीन में से बनेसिंह को आधे हिस्से की जमीन का इंतकाली दर्ज करा दीया और अधिक प्रदान कर दिया। जो इंतकाल संख्या 2012 में अंकित किया गया है। इस प्रकार सम्वत 2012 से ही ठाकुर रेवड सिंह की उक्त नम्बरदारी की जमीन जो कालू सिंह द्वारा आधी-आधी का इंतकाल दर्ज किया गया था। तो जोतते, बोते, चले आ रहे है। उसके बाद राजस्थान काश्त कारी अधिनियम जमींदारी जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के बाद भी वादी बदस्तूर काबिज चला आ रहा है। कालू सिंह नम्बरदार के निधन के पश्चात उसके हिस्से की जमीन गोपाल सिंह के नाम सम्वत 2016 में जरीये इन्तकाल संख्या 188 के दर्ज किया गया बाकी इन्द्राज को वादी के हक में जारी रखा। कालू सिंह के बाद में गोपाल सिंह भी चालाक व मक्कार निकला तथा उसने राजस्व कर्मचारीगान से मिलकर करके वादी की खुद काश्त की सारी जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया। जबकि वादी अपनी जमीन पर आधे हिस्से पर काबिज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गोपाल सिंह ने अपने नाम दर्ज करा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी ने गोपाल सिंह से कई बार कहा और उसने कभी इंकार नही किया और कहता रहा कि इन्द्राज दुरूस्त करवा दुंगा, मेरे बेटे की शादी नही हुई है अगर यह जमीन मेरे ही नाम बोलती रही तो मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह हो जावेगी। इसलिए मै शान्त रहा हुं।

2. यह है कि उपरोक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी गोपाल सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज होने से वादी के हकूक प्रभावित हो रहे है। और वादी को नापूर्ति होने वादी क्षति हो रही है। इसलिए वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ हेतु यह वाद न्यायालय श्रीमान में पेश कराना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज की आड में उपरोक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहते है। अगर यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादी को इतनी अधिक क्षति होगी की जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी तरह से नही हो सकेगी ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। अन्त में आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर में निस्फ/आधा हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वो वादी को उक्त आराजी में उसके हिस्सेनुसार कब्जे-काश्त एवं उपयोग-उपभोग फसल बोने लाने ले जाने काटने में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें। अन्त दावा वादी डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है-

यह है कि अर्जी दावा में ग्राम गोरधपुरा में वादीगण के बुजुर्ग कभी भी जमीदार नही रहे। ठाकुर रेवड सिंह ने कभी भी बनेसिंह को जायदाद से बने सिंह का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। कालूसिंह हमेशा से ग्राम गोरधनपुरा का नम्बरदार था। उसने ठाकुर रेवड सिंह को धोखे से रहकर कभी कोई नम्बरदारी प्राप्त नही की उसकी नम्बरदारी में जो आराजीयात थी उन पर हमेशा से कालूसिंह काबिज रहकर खुद काश्त करता था। अर्थात उसकी समस्त आराजीयात उसकी खुद काश्त में दर्ज थी जिनका रेवड सिंह की बेवा और बने सिंह से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

इसलिए जागीदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन के बाद कालू सिंह काश्तकार घोषित हुआ। मृतक कालूसिंह ने अपनी नम्बरदारी की आराजीयात के 1/2 हिस्से का कभी कोई नामान्तकरण बनेसिंह व रेवडसिंह की बेवा जवाहर बाई के हक में दर्ज कराया यदि बनेसिंह और जवाहर बाई ने कालूसिंह की आराजीयात के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 272 कालूसिंह के ज्ञान के अभाव में अपने नाम दर्ज करा लिया है। तो यह नामान्तकरण आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। और बनेसिंह तथा जवाहर बाई तथा वादी को कोई विधिक अधिकार प्रदान नही करता है। कालू सिंह की मृत्यु के बाद सम्वत 2016 में उसके ज्ञान के अभाव में यदि वादीगण ने नामान्तकरण संख्या 188 के द्वारा मृतक कालूसिंह को आराजीयात के 1/2 भाग का नामान्करण दर्ज करा लिया है। तो नामा0 संख्या 188 मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व वादीगण को कोई अधिकार प्रदान नही करता है। प्रतिवादीगण न तो चालाक व्यक्ति है। और ना ही मक्कार बल्कि एक साधारण व्यक्ति है। जब वादीगण का मृतक कालूसिंह की खुद काश्त की आराजीयात 1/2 भाग से कोई सम्बन्ध सरोकार ही नही है। तो कर्मचारीयान द्वारा मृतक कालूसिंह की समस्त आराजीयात पर मिन प्रतिवादी जो कालूसिंह का जायज वारिस है। उसका नाम बतौर खातेदार पूर्णतया सही और विधिक है।

4. यह है कि वादी ने अपने सम्पूर्ण दावा एंलीगेसन्स में कही पर भी यह प्लीड नही किया है कि उनका कोई पूर्व ग्राम रामसिंहपुरा का जागीदार था। उसका वादी से क्या सम्बन्ध था। अर्थात व रिश्ते में उनका क्या लगता था। न ही उन्होने अपने परिवार का कोई सजरा पेश किया है। साथ ही यह भी प्लीड नही किया है कि ग्राम रामसिंह पुरा जागीर का गॉव था। इसलिए प्लीडडिंगस के अभाव में वादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। वादी ने अपने वाद पत्र गाव वालो और बनेसिंह तथा जवाहर बाई के एतराज करने पर कालूसिंह ने जरिये नामा0 संख्या 271 सारी जमीन में से बनेसिंह को आधे/निरफ हिस्से की जमीन का नामा दर्ज करा दिया जो कतई गलत है। यदि कालूसिंह अपनी जमीन 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज कराता है तो बनेसिंह और ठाकुर रेवडसिंह की विधवा जवाहर बाई दोनो के नाम दर्ज होना चाहिए था। बनेसिंह ने नामा0 संख्या 271 छलके द्वारा अकेले खुद के नाम माल के अधिकारीयान से मिल्लत करके कालूसिंह के ज्ञान के अभाव में बिना उसकी अनुमति के और बिना सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के कराया है। जो वादीगण या बने सिंह को कोई विधिक अधिकार प्रदान नही करता है। वाद पत्र के समर्थन में तथाकथित वसीयत दिनांक 16.09.1991 को पेश नही किया है। वर्तमान में दीवानी प्रक्रिया में सन् 2002 में संशोधन कर दिया गया है। कि कोई भी पक्षकार जिन दस्तावेजों पर रिलाई करके अपना वाद प्रस्तुत करता है। उन दस्तावेजो पर अपने वाद पत्र के साथ ही पेश करना पडेगा इसलिए वादी उक्त वसीयत को पेश नही किया सकते है। अन्त में वाद वादी को खारीज करने का निवेदन किया गया। अतः दावा वादी काबिल—ए—खारिज योग्य है।

5. प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात् कायम किये गये जो इस प्रकार है—

   1. *आया वादी हाल* आराजी खसरा संख्या 324, 533, 534, 561, 562, 563, 564, 565, 566, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर का निरफ हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने व वर्तमान इन्द्राज प्रतिवादीगण निरफ हिस्सा का ममुकबले वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। ....वादी
   2. *आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।* ....वादी

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला—अलवर

6. वादी ने अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है जो इस प्रकार है–
–जमाबंदी सम्वत् 2056 प्रदर्श–1
– नामान्तकरण दिनांक 25.04.1949 प्रदर्श–2
– मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श–3
– मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 प्रदर्श–4
– जमाबन्दी सम्वत 2013 5 पृष्ठो में प्रदर्श–5
– नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 प्रदर्श–6
– नकल जमाबन्दी सम्वत 2018–19 प्रदर्श–7
– नकल नामान्तकरण संख्या 188 सम्वत 2016 प्रदर्श–8
– दिनांक 20.03.1960 मैने गोपाल सिंह ने के चलते मुकदमे में जमीन बेचान की थी जिसकी बैयनामा की नकल फोटोप्रति दिनांक 07.06.2002 की जिनकी बयनाम की प्रमाणित की खसरा नम्बर 534 प्रदर्श–9
– खसरा नम्बर 533 के बयनामा दिनांक 0.06.2002 की प्रमाणित प्रति पदर्श– 10
–जमाबन्दी सम्वत 2016–19 प्रदर्श–11

7. इसी प्रकार गवाह साक्ष्य के रूप में वादी की और से रघुवीर सिंह पुत्र रूडसिंह, दिनेश चन्द पुत्र मूलचन्द, सरदार सिंह पुत्र गणेश लाल, का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिनके बयान लेखबद्ध किये गये जो शामिल मिशल है। प्रकरण मे प्रतिवादी की ओर से जवाब में वादी के सभी कथनों का खण्ड़न किया। इस वजह से अनुतोष व तनकीयात साबित करने का भार वादी पर ही था।

8. इसी प्रकार गवाह साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी की और उम्मेद सिंह पुत्र गोपाल सिंह, का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिशल है। जिनके बयान लेखबद्ध किये गये जो शामिल मिशल है।

9. प्रकरण में तत्पश्चात् बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किये गये खसरा संख्यान् का विवरण इस प्रकार है–

हाल	साबिक
324/0.23	247 रकबा 7 बिस्वा, 248/11 बिस्वा
533/0.31	462 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 463 रकबा 3 बिस्वा
534/0.18	454 रकबा 17 बिस्वा
561/0.21	448 रकबा 18 बिस्वा, 472 मिन रकबा 1 बीघा
562/0.28	447 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा
563/0.06	472 मिन रकबा 1 बीघा
564/0.63	473 रकबा 2 बीघा, 472 मिन शामिल नम्बर 563, 251 मिन रकबा 9 बिस्वा
565/0.78	474 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 472 मिन शामिल नम्बर 563, 251 मिन शामिल नम्बर 564
566/0.57	249 रकबा 19 बिस्वा, 250 रकबा 18 बिस्वा, 486 मिन शामिल नम्बर 567,
577/0.41	481 बा 1 बीघा 10 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

10. प्रकरण में जमाबंदी सम्वत् 2020 एवं हाल जमाबंदी के अंकित इन्द्राज का विवरण करना यहां प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:-

हाल	साबिक
247 रकबा 7 बिस्वा	400 मिन रकबा 7 बिस्वा
248 रकबा 11 बिस्वा	297 मिन रकबा 1 बिस्वा, 399 मिन 2 बिस्वा, 400 मिन रकबा 8 बिस्वा
462 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा,	424 रकबा 1 बीघा, 516 मिन रकबा 1 बिस्वा, 416 मिन रकबा 2 बिस्वा
463 रकबा 3 बिस्वा	416 मिन रकबा 2 बिस्वा, 516 मिन रकबा 1 बिस्वा
454 रकबा 17 बिस्वा	423 रकबा 14 बिस्वा, 427 मिन 3 बिस्वा
448 रकबा 18 बिस्वा,	408 मिन रकबा 2 बिस्वा, 409 रकबा 12 बिस्वा, 411 मिन रकबा 4 बिस्वा
472 मिन रकबा 1 बीघा 472 मिन शामिल नम्बर 563,	408 मिन रकबा 1 बीघा
251 मिन रकबा 9 बिस्वा	402 मिन 9 बिस्वा
447 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा	410 रकबा 17 बिस्वा, 411 रकबा 5 बिस्वा, 413 मिन रकबा 1 बिस्वा
473 रकबा 2 बीघा,	406 रकबा 2 बीघा
251 मिन रकबा 9 बिस्वा	402 मिन 9 बिस्वा
474 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 472 मिन शामिल नम्बर 563	404 रकबा 17 बिस्वा, 405 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा,
249 रकबा 19 बिस्वा,	399 मिन रकबा 2 बिस्वा, 400 मिन रकबा 17 बिस्वा,
250 रकबा 18 बिस्वा, 486 मिन शामिल नम्बर 567,	399 मिन रकबा 2 बिस्वा, 400 मिन 16 बिस्वा
481 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा	—

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

11. प्रकरण में बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान अभिभाषक ने वादपत्र में तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर उक्त विवादित आराजी में वादी के पुरखे जमींदार थे। जब ठाकुर रेवड सिंह के कोई सन्तान नही हुई तो उन्होने श्री बनेसिंह को गोद ले लिया, ठाकुर रेवड सिंह को धोखें में रखकर उनके स्थान पर नम्बरदारी प्राप्त कर ली। उनके स्थान पर नम्बरदारी प्राप्त होने पर भी किसी भी जमीन पर कालू सिंह ने काबिज रहकर काश्त नही की। बेवा रेवड सिंह जी ही सारी जमीन के देखभाल व काश्त करते चले आ रहे थे। तथा बने सिंह के लडके रघुवीर सिंह व दलबीर सिंह को अपने हिस्से की कुल जमीन की वसीयत कर दी। इस प्रकार सम्वत 2012 से ही ठाकुर रेवड सिंह की उक्त नम्बरदारी की जमीन जो कालू सिंह द्वारा आधी-आधी का इंतकाल दर्ज किया गया था। तो जोतते, बोते, चले आ रहे है। उसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जमीदारी जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के बाद भी वादी बदस्तूर काबिज चला आ रहा है। कालू सिंह कामदार के निधन के पश्चात उसके हिस्से की जमीन गोपाल सिंह के नाम सम्वत 2016 में जरीये इन्तकाल संख्या 188 के दर्ज किया गया बाकी इन्द्राज को वादी के हक में जारी रखा। कालू सिंह के बाद में गोपाल सिंह भी

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

चालाक व मक्कार निकला तथा उसने राजस्व कर्मचारीयान से मिल्लत करके वादी की खुद काश्त की सारी जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया। जबकि वादी अपनी जमीन पर आधे हिस्से पर काबिज है। अन्त मे आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर मे निस्फ/आधा हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वो वादी को उक्त आराजी में उसके हिस्सेनुसार कब्जे-काश्त एवं उपयोग-उपभोग फसल बोने लाने ले जाने काटने में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें। अन्त दावा वादी डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

12. प्रकरण मे बहस वकील प्रतिवादी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब को तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर ग्राम गोरधपुरा में वादीगण के बुजुर्ग कभी भी जमीदार नही रहे। ठाकुर रेवड सिंह ने कभी भी बनेसिंह को जायदाद से बने सिंह का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। कालूसिंह हमेशा से ग्राम गोरधनपुरा का नम्बरदार था। उसने ठाकुर रेवड सिंह को धोखे से रहकर कभी कोई नम्बरदारी प्राप्त नही की उसकी नम्बरदारी में जो आराजीयात थी उन पर हमेशा से कालूसिंह काबिज रहकर खूद काश्त करता था। अर्थात उसकी समस्त आराजीयात उसकी खुद काश्त में दर्ज थी जिनका रेवड सिंह की बेवा और बने सिंह से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। न ही उन्होने अपने परिवार का कोई सजरा पेश किया है। साथ ही यह भी प्लीड नही किया है कि ग्राम रामसिंह पुरा जागीर का गॉव था। इसलिए प्लीडडिंगस के अभाव में वादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। वादी ने अपने वाद पत्र गाव वालो और बनेसिंह तथा जवाहर बाई के एतराज करने पर कालूसिंह ने जरिये नामा० संख्या 271 सारी जमीन में से बनेसिंह को आधे/निस्फ हिस्से की जमीन का नामा दर्ज करा दिया जो कतई गलत है। यदि कालूसिंह अपनी जमीन 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज कराता है तो बनेसिंह और ठाकुर रेवडसिंह की विधवा जवाहर बाई दोनो के नाम दर्ज होना चाहिए था। बनेसिंह ने नामा० संख्या 271 छलके द्वारा अकेले खुद के नाम माल के अधिकारीयान से मिल्लत करके कालूसिंह के ज्ञान के अभाव में बिना उसकी अनुमति के और बिना सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के कराया है। जो वादीगण या बने सिंह को कोई विधिक अधिकार प्रदान नही करता है। वाद पत्र के समर्थन में तथाकथित वसीयत दिनांक 16.09.1991 को पेश नही किया है। वर्तमान में दीवानी प्रक्रिया में सन् 2002 में संशोधन कर दिया गया है। कि कोई भी पक्षकार जिन दस्तावेजों पर रिलाई करके अपना वाद प्रस्तुत करता है। उन दस्तावेजो पर अपने वाद पत्र के साथ ही पेश करना पडेगा इसलिए वादी उक्त वसीयत को पेश नही किया सकते है। अन्त में वाद वादी को खारीज करने का निवेदन किया गया। अतः दावा वादी काबिल-ए-खारिज योग्य है।

13. मैने बहस वकुलाय व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन व मनन किया गया। आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर मे स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2056 प्रदर्श-1, नामन्तकरण दिनांक 25.04.1949 प्रदर्श-2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श-3, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 प्रदर्श-4, जमाबन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

2013 5 पृष्ठो में प्रदर्श—5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 प्रदर्श—6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2016—19 प्रदर्श—7, नकल मामान्तकरण संख्या 188 सम्वत 2016 प्रदर्श—8, दिनांक 20.03.1960 मैने गोपाल सिंह ने के चलते मुकदमे में जमीन बेचान की थी जिसकी बैयनामा की नकल फोटोप्रति दिनांक 07.06.2002 की जिनकी बयनाम की प्रमाणित की खसरा नम्बर 534 प्रदर्श—9, खसरा नम्बर 533 के बैयनामा दिनांक 0.06. 2002 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श— 10, जमाबन्दी सम्वत 2016—19 प्रदर्श—11 के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट हुआ की आराजी खसरा संख्या 533/0.31, 534/0.18 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा गोपाल सिंह पुत्र श्री कालूसिंह ठाकूर के द्वारा दिनांक 07/06/2002 को सीयाराम, धारासिंह पुत्रान गंगाबिशन जाति गुर्जर निवासी गोरधनपुरा तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला को बहिस्सा बेचान करी दी थी। जिसका नामा0 नही खुलने के कारण आज तक हाल जमाबन्दी सम्वत 2072—75 खाता संख्या 172 गोपाल सिंह के वारीसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। अन्त में सम्पूर्ण बहस तथ्यों व दस्तावेजो का अवलोकन पश्चात दावा वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अत:

आदेश है कि

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती/इस्तकरारहक आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर को डिक्री किया जाता है। वादी को उक्त सम्पूर्ण अराजी का निस्फ/आधा हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज में सें निस्फ/आधा हिस्सा हजफ किया जाकर वादी के नाम निस्फ/आधा हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। तथा शेष निस्फ/आधा हिस्सा में प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखा जावें। साथ ही आदेश है कि उक्त आराजी पर कोई रहन हो तो प्रतिवादी के हिस्से पर दर्ज किया जावे। इसी अनुसार तहसीलदार टहला राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।

निर्णय आज दिनांक12../01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

न्यायालय

खण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/383/2015 ऑनलाईन नम्बर:–2015/00367 प्रवेश तिथि:–29.04.2015

1. रघुवीर सिंह पुत्र श्री रूड सिंह मु0 ब0 श्री बनेसिंह आयु 72 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री कालू सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर मृतक जरीये वारीसान–
   1/1. उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह।
   1/2. सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह।
   1/3. मदन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह।
   1/4. मोहन बाई बेवा स्व0 श्री गोपाल सिंह जातियन राजपूत निवासीयान ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर।
2. तहसीलदार कब सब रजिस्ट्रार तहसील राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा –88,
उपस्थितः– श्री सीताराम वशिष्ट एडवोकेट–वादी
श्री मोहन लाल जैमन एड0 प्रतिवादी

पर्चा–डिक्री

दिनांकः–12–/01/2026

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती/इस्तकरारहक आराजी खाता संख्या 172 खसरा संख्या 324/0.23, 533/0.31, 534/0.18, 561/0.21, 562/0.28, 563/0.06, 564/0.63, 565/0.78, 566/0.57, 577/0.41, वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर को डिक्री किया जाता है। वादी को उक्त सम्पूर्ण अराजी का निस्फ/आधा हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज में से निस्फ/आधा हिस्सा हजफ किया जाकर वादी के नाम निस्फ/आधा हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। तथा शेष निस्फ/आधा हिस्सा में प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखा जावें। साथ ही आदेश है कि उक्त आराजी पर कोई रहन हो तो प्रतिवादी के हिस्से पर दर्ज किया जावे। इसी अनुसार तहसीलदार टहला राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर